रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1012] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2017/अग्रहायण 29, 1939
No. 1012] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2017/ AGRAHAYANA 29, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1526(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 2017 है।

2. कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और इसे जुलाई 2017 की 01 तारीख से रखा गया माना जाएगा, अर्थात् –

"(कक) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष", से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अतिरिक्त टिप्पणों में यथानिर्दिष्ट शीर्षक अभिप्रेत है।

3. मूल नियमों में, नियम 3 में दोनों स्थानों पर आने वाले शब्दों "उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष" के लिए "सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष" शब्द रखे जाएंगे और इन्हें जुलाई, 2017 की 01 तारीख से रखा गया माना जाएगा।

4. मूल नियमों में, उपाबंध में, प्ररूप सीआरए-2, प्ररूप सीआरए-3 और प्ररूप सीआरए-4 में शब्द "सीईटीए शीर्षक", जहां कहीं भी आते हैं, के स्थान पर "सीटीए शीर्षक" शब्द रखे जाएंगे और इन्हें जुलाई, 2017 की 01 तारीख से रखा गया माना जाएगा।

[फा. सं. 1/40/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन : प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधिनियमन को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 30 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 425(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें 31 दिसंबर, 2014 की सा.का.नि. 01(अ) द्वारा और तारीख 12 जून, 2015 की सा.का.नि. 486(अ), तारीख 14 जुलाई, 2016 की सा.का.नि. 695(अ) द्वारा और तारीख 7 दिसंबर, 2017 की सा.का.नि. 1498(अ) द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

G.S.R. 1526(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 and section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred as the Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (cost records and audit) Rules, 2014, namely:—

1. These rules may be called the Companies (cost records and audit) Second Amendment Rules, 2017.

2. In the Companies (cost records and audit) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, for clause (aa) the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

(aa) "Customs Tariff Act Heading" means the heading as referred to in the Additional Notes in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

3. In the principal rules, in rule 3, for the words "Central Excise Tariff Act Heading", occurring at both the places, the words "Customs Tariff Act Heading" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017.

4. In the principal rules, in the Annexure, in Form CRA-2, Form CRA-3 and Form CRA-4, for the words "CETA Heading", wherever it occurs, the words "CTA Heading" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 1/40/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification. The proposed amendments have been made on account of enactment of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 425(E), dated the 30th June, 2014 and amended *vide* number G.S.R. 01(E), dated the 31st December, 2014 and *vide* number G.S.R. 486(E), dated the 12th June, 2015 and *vide* number G.S.R. 695(E), dated the 14th July, 2016 and *vide* number G.S.R. 1498(E), dated the 7th December, 2017.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.21 18:24:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.